वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम– जननी सुरक्षा योजना (संस्थागत प्रसव) ग्रामीण
बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष– A.1.4.2.1
बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या : A.1.4.2.1
कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण–

मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में वांछित कमी लाने हेतु संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान इस कार्यक्रम में किया गया है ।
यह प्रोत्साहन राशि गर्भवती महिला तथा संबद्ध ए.एम.एम/आशा/आँगनवाड़ी सेविका को देय है ।

इकाई राशि (रू० लाख में) – 2000.00

वित्तीय दिशा निर्देशन–संस्थागत प्रसव हेतु प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश–

कार्य	लाभार्थी (गर्भवती महिला) ग्रामीण क्षेत्र	लाभार्थी (आशा/आंगनवाड़ी सेविका)
गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन		100 रू०/–
प्रसव पूर्व जाँच 1	300 रू०/–	100 रू०/–
प्रसव पूर्व जाँच 2		
प्रसव पूर्व जाँच 3		
आई० एफ० ए० 1	300 रू०/–	100 रू०/–
आई० एफ० ए० 2		
आई० एफ० ए० 3		
टी० टी० 1	100 रू०/–	
टी० टी० 2		
बी०सी०जी० टीकाकरण	–	100 रू०/–
कुल	700 रू०/–	400 रू०/–
संस्थागत प्रसव	700 रू०/–	
कुल	1400 रू०/–	
वाहन की व्यवस्था ए.एन.एम./आशा/ आंगनवाड़ी अथवा गर्भवती महिला	200 रू०/–	
कुल योग–	2000 रू०/–संस्थागत प्रसव	

नोट–

1 आशा/आंगनवाड़ी सेविका द्वारा जननी बाल सुरक्षा योजना के अंतर्गत किए गए सभी कार्यों के लिए एक मुश्त राशि शिशु के बी.सी.जी. टीकाकरण के पश्चात् संबंधित प्रा०स्वा०के०/सदर अस्पताल/ अनुमंडलीय अस्पताल से दी जाएगी ।

2 गर्भवती महिला का संस्थागत प्रसव के पश्चात एक मुश्त भुगतान देय होगा । गर्भवती महिला के प्रसव पूर्व जाँच, आइ.एफ.ए.
तथा टी.टी का सत्यापन जच्चा–बच्चा रक्षा कार्ड पर अंकित सूचना तथा ए.एन.एम./स्वास्थ्य कार्यकर्ता के हस्ताक्षर से किया जाएगा ।
(गर्भवती महिला द्वारा प्रसव पूर्व जाँच, टी.टी., आई.एफ.ए. यदि सरकारी अस्पतालों के अलावा अन्य जगहों से सलाह/क्रय कर उपयोग किया गया है, उसकी भी मान्यता दी जाएगी)
अगर सरकारी अस्पतालों में आई.एफ.ए उपलब्ध नहीं है तथा आशा गर्भवती महिला को प्रेरित कर अन्य जगहों से क्रय कर आई.एफ.ए. का सेवन सुनिश्चित कराती है, वैसी स्थिति में आई.एफ.ए. हेतु भुगतान आशा को भी देय होगा ।

3 आशा द्वारा किए गए सभी कार्यों का सत्यापन जच्चा–बच्चा रक्षा कार्ड पर अंकित सूचना तथा ए.एन.एम./स्वास्थ्य कार्यकर्ता के हस्ताक्षर से किया जाएगा । सभी ए.एन.एम. जच्चा के साथ आने वाली आशा का नाम कार्ड पर अंकित करेंगी ।

विशेष परिस्थिति में वित्तीय दिशा निर्देशन –

गर्भवती महिला (प्रसव के बाद) अथवा शिशु की मृत्यु हो जाती है तो इस परिस्थिति में भुगतान निम्न प्रकार देय होगा–

(क) गर्भवती माता की प्रसव के पश्चात अगर मृत्यु हो जाए तो भुगतान शिशु के पोषण हेतु देय है ।
(ख) अगर मृत शिशु जन्म अथवा नवजात शिशु की मृत्यु हो तो भुगतान माता को पोषण हेतु देय है ।
(ग) अप्रशिक्षित या प्रशिक्षित आशा/आँगनवाड़ी सेविका को उक्त दोनों परिस्थितियों में भुगतान देय होगा ।
अगर माता और शिशु दोनों की मृत्यु हो जाए तो भुगतान केवल आशा को देय होगा ।

भुगतान की प्रक्रिया : लाभार्थी को चेक के द्वारा तथा आशा एंव अन्य को नगद भुगतान।
(संबंधित पत्र –(ख)

Outcome : सुरक्षित प्रसव/आशा के पास Micro Birth Plan

Check List : आशा हेतु Micro Bith Plan संलग्न।

इस संदर्भ में यदि पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र न० तिथि के साथ उल्लेखित करे)

(क)SHSB/PM/22/2005/4345,Date:-12.09.2007(**संलग्न**)
(ख) SHSB/MCH/04/07/5342, Date:-22/02/2008 (**संलग्न**)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम–डा० वर्षा सिंह, सलाहकार–एम०सी०एच०
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर–0612–3244034, 9470003013

माइक्रो - बर्थ प्लान

DRAWING A MICRO-BIRTH PLAN FOR EACH BENEFICIARY:

The following set of simple actions including a time-line for each of the activities leading to sanctioning of benefits and postnatal care for each expectant mother is the key to efficient implementation of the Scheme. The ASHA or its equivalent worker would be responsible for drawing a micro-plan and organizing obstetric care to the registered JSY beneficiary.

S No.	Activity	To be undertaken by	Proposed Time line
(a)	Identification of beneficiary [redacted]	ASHA or its equivalent worker (Those registered with SC/PHC)	At least [illegible] before the [illegible] date [illegible]
(b)	Registering the expectant mother for ANC in the sub-center/health center. Filling of Maternal and Child card ([redacted])	Same as above Accredited worker should be present during registration	To start immediately on identification
(c)	Preparing the birth plan including dates of ANCs and recording it ~~on the [redacted] card and inform the mother~~	ANM in the presence of ASHA possibly in consultation with husband or other family members.	At least 8-10 weeks before the expected date of delivery.
(e)	Completion of formalities for receiving JSY benefit Including collecting necessary BPL certificates wherever necessary from Panchayat / local bodies / Municipalities	ASHA or its equivalent worker	Within 2-3 [illegible] from identification [illegible]
(f)	Motivating for institutional delivery by explaining enhanced JSY benefits	ASHA or its equivalent worker in consultation with MO, PHC	Within [illegible] of identification
(e)	**Identify the health center** for all referral as well as the place of delivery and inform the pregnant women / her husband / family member and the Registered ASHA.		
(i)	~~Submit the completed JSY~~	MO, PHC	Before 2 weeks of

	~~card in the Health center~~ for ~~verification by~~ the authorized/~~Medical officer~~. Taking necessary steps toward delivery as well as to make available fund to ANM/Health worker/ASHA etc		expected date of delivery

For complicated cases or those requiring cesarean section etc:

ANM in consultation with the ASHA or its equivalent worker and the Medical Officer of the PHC would take following steps:

i. Pre-determine the Referral health center and intimate the pregnant women about the health center she has to reach when complication arises,
ii. ASHA to take the expectant woman to the referral unit along with a letter of referral from MO PHC and register / acquaint the center's staff with the expectant woman ,
iii. ASHA and the ANM to keep a record of the case in the dairy
iv. The transport facility should be pre-organized by the ASHA or its equivalent worker.
v. MO, PHC will arrange for the medical experts if the same is not available in the referred heath center,
vi. If necessary, pregnant women may be shifted to the health center in advance along with the ASHA or its equivalent worker.

Most Important: *Referral Health Centers should accept AND honour referral slips from ASHA or its equivalent worker and preference is given to women carrying such REFERRAL SLIPS*

State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना - 800 014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna - 800 014
Phone : 0612-2281544, 2286542, 2290321, 2290324
website : www.shsbihar.org E-mail : info@shsbihar.org

Udai Singh Kumawat, IAS
Executive Director

File No. SHSB/MCH-34/07/542
Date: 22/02/2008

To,

All District Magistrate/Civil Surgeon

Sub- Payment to JBSY beneficiaries through cheques

Sir,

It has been decided that henceforth payment to all beneficiaries under Janani and Bal Suraksha Yojana shall be made though bearer cheques only. It is proposed to start this facility by 14th March 2008. It is requested that all necessary arrangements regarding obtaining necessary number of Cheque Books from the concerned Banks and issuing of necessary directions to all hospitals where deliveries take place may be completed by 14th March 08 so that this activity any be started by that date.

Incentive payments of ASHA shall be continued to be made in form of cash as before.

Sincerely Yours

Sd/-

(Udai Singh Kumawat)

Memo No. 5342 **Date:-** 22/02/2008.

Copy to:

Superintendent, All six Govt. Medical College Hospital (P.M.C.H., N.M.C.H., D.M.C.H., A.N.M.C.H., J.L.N.M.C.H., S.K.M.C.H.).

(Udai Singh Kumawat)

294

FMR Code – A.1.2.2.1
(क) (२१)

515
R-166

State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना - 800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna-800014
Phone : 0612-3259447, 2281448, 2290321, 2290322, 2290328, 229...
website : www.shsbihar.org E-mail : info@shsbihar.org

उदय सिंह कुमावत, भा० प्र० से०
कार्यपालक निदेशक

संचिका सं० SHSB/FM/22/2005
पत्रांक– 4345 दिनांक– 15.09.07

सेवा में,

अधीक्षक,
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल,
पटना।

विषय :– जननी एवं बाल सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन के क्रम में मार्गदर्शन देने के संबंध में ।

संदर्भ : आपका पत्रांक– 8141, तारीख :– 28/08/20007 ।

महोदय

जननी एवं बाल सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिला एवं आशा को संस्थागत प्रसव हेतु प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है यदि गर्भवती महिला(प्रसव के बाद) अथवा शिशु की मृत्यु हो जाती है तो इस परिस्थिति में भुगतान निम्न प्रकार देय होगा –

1. गर्भवती माता की प्रसव के पश्चात् अगर मृत्यु हो जाए तो भुगतान शिशु के पोषण हेतु देय है
2. अगर मृत शिशु जन्म (Still Birth) अथवा नवजात शिशु की मृत्यु हो तो भुगतान माता को पोषण हेतु देय है ।
3. आशा को भी उक्त दोनों परिस्थितियों में भुगतान देय होगा । अगर माता और शिशु दोनों की मृत्यु हो जाए तो भुगतान केवल आशा को देय होगा ।

विश्वासभाजन

(उदय सिंह कुमावत)

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम– **जननी सुरक्षा योजना (संस्थागत प्रसव) शहरी**

बजट क्रम संख्या /एफ०एम०आर० कोड संख्या– A.1.4.2.2
बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष– A.1.4.2.2

कार्यक्रम का संक्षिप्त **विवरण** मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में वांछित कमी लाने हेतु संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान इस कार्यक्रम में किया गया है ।

इकाई राशि (रू० लाख में)–**1200.00**

वित्तीय दिशा निर्देशन :
संस्थागत प्रसव हेतु प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश–

कार्य	लाभार्थी (गर्भवती महिला)शहरी क्षेत्र	लाभार्थी (ए.एन.एम)
गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन		100 रू०/–
प्रसव पूर्व जाँच 1	300 रू०/–	50 रू०/–
प्रसव पूर्व जाँच 2		
प्रसव पूर्व जाँच 3		
आई० एफ० ए० 1	300 रू०/–	50 रू०/–
आई० एफ० ए० 2		
आई० एफ० ए० 3		
टी० टी० 1	100 रू०/–	
टी० टी० 2		
बी०सी०जी० टीकाकरण	–	
कुल	700 रू०/–	**200 रू०/–**
संस्थागत प्रसव	300 रू०/–	
कुल	1000 रू०/–	
कुल योग–	1200 रू०/–संस्थागत प्रसव	

नोट–

1 आशा/आंगनवाड़ी सेविका द्वारा जननी बाल सुरक्षा योजना के अंतर्गत किए गए सभी कार्यो के लिए एक मुश्त राशि शिशु के बी.सी.जी. टीकाकरण के पश्चात् संबंधित प्रा०स्वा०के० /सदर अस्पताल/अनुमंडलीय अस्पताल से दी जाएगी ।

2 गर्भवती महिला का संस्थागत प्रसव के पश्चात एक मुश्त भुगतान देय होगा । गर्भवती महिला के प्रसव पूर्व जाँच, आइ.एफ.ए.
तथा टी.टी का सत्यापन जच्चा–बच्चा रक्षा कार्ड पर अंकित सूचना तथा ए.एन.एम./स्वास्थ्य कार्यकर्ता के हस्ताक्षर से किया जाएगा ।
(गर्भवती महिला द्वारा प्रसव पूर्व जाँच, टी.टी., आई.एफ.ए. यदि सरकारी अस्पतालों के अलावा अन्य जगहों से सलाह/क्रय कर उपयोग किया गया है, उसकी भी मान्यता दी जाएगी)
अगर सरकारी अस्पतालों में आई.एफ.ए उपलब्ध नहीं है तथा आशा गर्भवती महिला को प्रेरित कर अन्य जगहों से क्रय कर आई.एफ.ए. का सेवन सुनिश्चित कराती है, वैसी स्थिति में आई.एफ.ए. हेतु भुगतान आशा को भी देय होगा ।

3 आशा द्वारा किए गए सभी कार्यों का सत्यापन जच्चा–बच्चा रक्षा कार्ड पर अंकित सूचना तथा ए.एन.एम. /स्वास्थ्य कार्यकर्ता के हस्ताक्षर से किया जाएगा । सभी ए.एन.एम. जच्चा के साथ आने वाली आशा का नाम कार्ड पर अंकित करेगी ।

...MCH/68/09

292

विशेष परिस्थिति में वित्तीय दिशा निर्देशन –

गर्भवती महिला (प्रसव के बाद) अथवा शिशु की मृत्यु हो जाती है तो इस परिस्थिति में भुगतान निम्न प्रकार देय होगा–

(क) गर्भवती माता की प्रसव के पश्चात अगर मृत्यु हो जाए तो भुगतान शिशु के पोषण हेतु देय है ।

(ख) अगर मृत शिशु जन्म अथवा नवजात शिशु की मृत्यु हो तो भुगतान माता को पोषण हेतु देय है ।

(ग) अप्रशिक्षित या प्रशिक्षित आशा/आँगनवाड़ी सेविका को उक्त दोनों परिस्थितियों में भुगतान देय होगा । अगर माता और शिशु दोनों को मृत्यु हो जाए तो भुगतान केवल आशा को देय होगा ।

भुगतान की प्रकिय : लाभार्थी को चेक के द्वारा तथा आशा एंव अन्य को नगद भुगतान। (संबंधित पत्र–(ख)

Outcome : सुरक्षित प्रसव/आशा के पास Micro Birth Plan

Check List : आशा हेतु Micro Birth Plan संलग्न।

इस संदर्भ में यदि पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र न० तिथि के साथ उल्लेखित करें)
(क)SHSB/PM/22/2005/4345,Date:-12.09.2007(संलग्न)
(ख) SHSB/MCH/04/07/5342, Date:-22/02/2008 (संलग्न)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम–डा० वर्षा सिंह, सलाहकार–एम०सी०एच०
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर–0612–3244034,9470003013

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम– अन्य गतिविधियां (जननी सुरक्षा योजना)
बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष– A.1.4 .3
बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या : A.1.4.3

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण –मातृ स्वास्थ्य हेतु किए जा रहे विभिन्न **गतिविधियों**, कार्यक्रमो की गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जाना है । इस हेतु क्षेत्र भ्रमण, लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन तथा Micro Birth Plan की उपलब्धता एवं अनुपालन वांछनीय है ।

जिला में **वितरित की गई** कुल राशि (रू० लाख में)– **283.38**

वित्तीय दिशा निर्देशन : इसके तहत निम्न गतिविधियां की जा सकती है ।
1 मातृ स्वास्थ्य हेतु मुद्रण (Micro Birth Plan For ASHA, Parto graph)
2 जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का प्रा०स्वा०के० तक अनुश्रवण हेतु POL/ Hiring, Vehicle हेतु
3 लाभार्थी के भौतिक सत्यापन हेतु क्षेत्र भ्रमण के लिए (POL/ Hiring Vehicle)
4 डाटा मैनेजमेन्ट हेतु (May Hire Data entry operator for computerizing data)
5 बाढ़ आपदा के समय Temporary Delivery Hut /Tent अथवा किराए पर कमरा की व्यवस्था की जा सकती है ।

Outcome : सुरक्षित प्रसव, मातृ मृत्यु में कमी एवं नियमित भुगतान, आशा के पास Micro Birth Plan

Check List : Micro Birth Plan For ASHA (संलग्न)

इस संदर्भ में यदि पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र न० तिथि के साथ उल्लेखित करें)
(क) (ख) (ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम–डा० वर्षा सिंह, सलाहकार–एम०सी०एच०
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर–0612–3244034,9470003013